संख्या- 1/2019/ 166 /33-3-2019-100(26)/2015

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी,2019

विषय- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2018-19 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8/1816/2018-8/62/2018, दिनांक 14.01.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस- 2018-231/2018, दिनांक 20.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हु आ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2018-19 के लिए बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त की धनराशि रू. 35743700000/- (रू. पैंतीस अरब चौहत्तर करोड सैंतीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जानें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस- 2018-231/2018, दिनांक 20.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रायोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2018-19 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04- चौदहवें वित्त आयेाग- 0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस- 2018-231/2018, दिनांक 20.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।
6- संबंधित बैंकों को।
7- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या- 1/2019/ 661/33-3-2019-100(26)/2015 दिनांक 17.01.2019 का संलग्नक</u>

14 वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रदेश की ग्राम पंचायतों को बेसिक ग्रान्ट की द्वितीय किश्त का आवंटन हेतु जनपदवार फाण्ट

(धनराशि रूपये में)

क्र.सं.	जनपद	ग्राम पंचायतों हेतु अनुदान की धनराशि (बेसिक ग्रान्ट द्वितीय किश्त वर्ष 2018-19)
1	**2**	**3**
1	मेरठ	476674024
2	बागपत	363721561
3	गाजियाबाद	406400375
4	गौतमबुद्धनगर	281628100
5	बुलन्दशहर	590240339
6	सहारनपुर	567630091
7	मुजफ्फरनगर	511593742
8	आगरा	582784933
9	अलीगढ़	531550220
10	हाथरस	377928994
11	एटा	373364316
12	कासगंज	327530211
13	मैनपुरी	393432037
14	मथुरा	429164774
15	फिरोजाबाद	434487076
16	बरेली	593701427
17	बदायू	524437543
18	पीलीभीत	428132092
19	शाहजहापुर	506615356
20	मुरादाबाद	431964315
21	अमरोहा	368657582
22	रामपुर	401736024

http://shasanadesh.up.nic.in

23	बिजनौर	646759774
24	लखनऊ	513925596
25	रायबरेली	539760458
26	अमेठी	428758178
27	हरदोई	733381493
28	उन्नाव	563130379
29	सीतापुर	817359795
30	खीरी	740217501
31	अयोध्या	484207585
32	अम्बेडकर नगर	461808885
33	सुल्तानपुर	492816550
34	बाराबंकी	615132500
35	गोण्डा	601262675
36	बलरामपुर	396295802
37	बहराइच	562279190
38	श्रावस्ती	253618462
39	प्रयागराज	854785101
40	कौशाम्बी	375688122
41	फतेहपुर	502620566
42	प्रतापगढ़	580021959
43	वाराणसी	476540792
44	चन्दौली	392111448
45	गाजीपुर	628428933
46	जौनपुर	777892099
47	मिर्जापुर	506832301
48	सोनभद्र	504444971
49	संतरविदासनगर (भदोही)	341872093
50	हमीरपुर	290529667

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

51	बांदा	375087389
52	चित्रकूट	316294291
53	महोबा	280452043
54	गोरखपुर	676862708
55	महाराजगंज	482908029
56	देवरिया	536634232
57	कुशीनगर	583839973
58	बस्ती	461410745
59	सन्त कबीर नगर	359813310
60	सिद्धार्थ नगर	455198031
61	आजमगढ़	792281485
62	मऊ	392806678
63	बलिया	550699374
64	कानपुर नगर	378599834
65	कानपुर देहात	447132857
66	फर्रूखाबाद	373763552
67	कन्नौज	360502995
68	इटावा	358201850
69	औरैया	348814833
70	झांसी	374995853
71	ललितपुर	340082217
72	जालौन	334106511
73	शामली	322937201
74	संम्भल	410858938
75	हापुड	443557064
	योग&	**35743700000**

(रू. पैंतीस अरब चौहत्तर करोड सैंतीस लाख मात्र)

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in